सं.डी.एस._5-14011/3/2017-अनुभाग-5-अं.वि.

भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूरु-560 231

13 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **आपातकालीन स्थिति में गृह सी.एच.एस.एस. केंद्र के बाहर उपचार को सी.एच.एस.एस. में शामिल करने के संबंध में।**

*****

अधोहस्ताक्षरी को विभाग के दिनांक 04.04.2013 के का.ज्ञा. सं. डी.11011/3/2012-V के पैरा 8 तथा दिनांक 10.05.2016 के का.ज्ञा. सं.11011/2/2015-V(1) के क्रमांक 3 के द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जोकि छु.रि.या./अवकाश/दौरा के दौरान गृह सी.एच.एस.एस. केंद्र के बाहर लिए गए उपचार के लिए कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति से संबंधित है ।

2. विभाग की सी.एच.एस.एस. सलाहकार समिति ने दिनांक 04.04.2018 को हुई अपनी 18वीं बैठक में, आपातकालीन स्थिति में, गृह सी.एच.एस.एस. केंद्र के बाहर सी.एच.एस.एस. लाभभोगी (सेवारत/सेवा-निवृत्त कर्मचारी तथा उनके आश्रितों) द्वारा प्राप्त किए गए उपचार को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सी.एच.एस.एस.) में शामिल की समीक्षा की तथा उचित सिफारिश की जिसकी विभाग में पुन: जांच की गई तथा निम्नानुसार सीमा तक इसे स्वीकृत किया जाता है:

(क) सी.एच.एस.एस. लाभभोगी (सेवारत/सेवा निवृत्त कर्मचारी तथा उनके आश्रित) आपातकालीन स्थिति में गृह सी.एच.एस.एस. केंद्र के बाहर लिए गए उपचार के लिए **सी.एच.एस.एस. की दर** तक सीमित धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, ऋण की सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी।

(ख) ऐसे चिकित्सा दावों को केंद्र/यूनिट के स्तर पर ही, केंद्र/यूनिट के निदेशक को प्राप्त विवेकाधिकार के अनुसार निपटाया जाए।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जी. रवि शंकर)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 080-2217 2204
फैक्स: 080-2341 6474
ई-मेल: chss@isro.gov.in

सेवा में: इसरो/अं.वि. के सभी केंद्रों/यूनिटों के निदेशक – इंट्रानेट के माध्यम से